राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

-7 JUN 2018

क्रमांकः प.2(31)नविवि/2017 जयपुर दिनांक :- 07.6.18

आदेश

नीदड़ आवासीय योजना में खातेदार/क्रेता द्वारा बार-बार मांग की जा रही है कि नीदड़ आवासीय योजना की अवाप्तित प्रक्रिया अधिक समय व्यतीत होने के कारण आरक्षण पत्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिये गये है। अतः क्रेता के नाम हस्तान्तरण करने की अनुमति देवे।

अतः जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 1102 दिनांक 24.01.2018 एवं काश्तकारो/क्रेताओं के व्यापक हितों व योजना में कोई अवरोध न हो, इसे मध्यनजर रखते हुए अवाप्तशुद्वा भूमि के बदले विकसित भूमि आवंटन के संबंध में जारी आरक्षण पत्र/आवंटन पत्र को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय कर दिया है ऐसी स्थिति में क्रेता के नाम हस्तान्तरण 100/-रूपयें प्रति वर्गमीटर का शुल्क वसूल किया जाकर नाम हस्तान्तरण करने की कार्यवाही एक माह में करने हेतु एक बारीय छूट की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त कार्यवाही आदेश जारी होने के एक माह में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तुरन्त विज्ञप्ति जारी कर कैम्प लगाकर की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
7/6/18
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सलाहाकार (टा.पी.), नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. सलाहाकार (विधि), नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

07/6/18
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम